न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 15/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल फकरूद्दीन पुत्र समसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: गैर सायल फकरूद्दीन स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–22.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल फकरूद्दीन पुत्र समसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	थाना कोतवाली दौसा	291/21	30.05.2021	13 RPGO	348/21	11.06.2021	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 07.07.2021
2.	थाना कोतवाली दौसा	305/21	07.06.2021	13 RPGO	390/21	30.06.2021	सजा 200 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 08.07.2021

उक्त शख्स फकरूद्दीन पुत्र समसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं दिनांक 22.03.2024 को उपस्थित आया। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध कोतवाली थाना दौसा में जुंअे सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज किये गये है। जिसमे गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुआं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढती जा रही है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। गैर सायल का स्वछन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। गैर सायल फकरूद्दीन पुत्र समसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी किसी भी तरह से जुंआ सट्टा के अपराध में लिप्त नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत है। प्रार्थी के विरूद्ध अब तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता हो, केवल मात्र चाय की दुकान के पास ताश खेलने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी के विरूद्ध किसी गम्भीर किस्म का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों का निर्णय हो चुका है। प्रार्थी शान्तिपूर्वक रहकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के दर्ज है जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल फकरूद्दीन पुत्र समसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल फकरूद्दीन पुत्र समसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा को दिनांक 23.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल दौसा–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए थाना बस्सी जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना बस्सी जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना बस्सी जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं जयपुर ग्रामीण को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested